

## अध्याय 2 (मैनुअल - बी-viii)

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

(a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public)

-----

प्रदेश में वानिकी से संबंधित निम्नलिखित संगठन एवं बोर्ड कार्यरत है :

1. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम
2. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ
3. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
4. म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड
5. म.प्र. राज्य बांस मिशन बोर्ड
- 6 म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड

-----